अध्याय

5

अध्याय 5

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी

5.1 प्रस्तावना

पर्यावरण अनापत्ति (ईसी) ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार सामान्य तथा विशेष शर्तों के अध्यधीन परियोग प्रस्तावों (पीपीज) को जारी किया जाता है। एमओईएफएण्डसीसी ने ईसी शर्तों को अनुपालन की निगरानी के लिए सम्पूर्ण देश में क्षेत्रीय कार्यालय (आरओज) स्थापित किए हैं। ईसी जारी किए जाने के बाद परियोजना कार्यान्वित करना और ईसी शर्तों का अनुपालन अपनाना पीपी का कर्तव्य है। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए)/ पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) रिपोर्ट तथा ईसी शर्तें स्वयं पीपीज द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने के यन्त्र प्रदान करते हैं। पीपीज द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

5.2 पर्याप्त जनशक्ति के साथ अलग निगरानी कक्ष की स्थापना न करना

ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट पर्यावरणीय निष्पादन तथा पर्यावरणीय गुणवता की निगरानी करने के लिए प्रत्येक पीपी द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर विकासित किए जाने के लिए अनुभवी तथा अर्धक कार्मिकों वाले आवश्यक अव संरचना के साथ पूर्णकालिक पर्यावरणीय निगरानी कक्ष का प्रवधान करती हैं। इस आशय की शर्तें या तो ईसी में शामिल होती हैं अथवा ईआई रिपोर्ट में वचन दिया जाता है।

चयनित 352 परियोजनाओं में केवल 274 परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और शेष 88 परियोजनाओं में अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकी।

इनमें से 274 परियोजनाओं में हमने पाया कि 176 परियोजनाओं में अलग निगरानी कक्ष की स्थापना के बारे में ईसी/ईआईए रिपोर्ट में निर्धारित शर्तों का व्यापक रुप से अनुपालन किया गया था। शेष 98 (36 प्रतिशत) परियोजनाओं से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नवत हैः

क. **निगरानी कक्ष की स्थापना करने की विशेष शर्तों का अभावः** कुल 47 परियोजनाओं में आवश्यक संरचना के साथ अलग निगरानी कक्ष स्थापित करने के बारे में उनके संबंधित ईसी अथवा ईआईए रिपोर्टों में कोई विशेष शर्त नहीं थी।

निगरानी कक्ष की स्थापना करने के लिए परियोजना प्रस्तावक पर ईसी अथवा ईआईए रिपोर्ट में अनुबद्ध किसी अधिदेश के अभाव में पीपी द्वारा वचनबद्ध पर्यावरण प्राचलों के अनुपालन की सम्भावक रुप से निगरानी नहीं की जा सकी। असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और दमन एवं दीव के मामलों में किसी भी परीक्षित परियोजना में निगरानी कक्ष बनाने की शर्त नहीं थी।

ख. **निगरानी कक्ष स्थापित न करनाः** 40 परियोजनाओं में यह देखा गया था कि यद्यपि ईसी/ईआईए रिपोर्ट में पर्याप्त अवसंरचना के साथ अलग निगरानी कक्ष स्थापित करने का अधिदेश किया गया परन्तु पीपी इन शर्तों का पालन करने में विफल हो गए क्योंकि ऐसा कोई कक्ष स्थापित किया गया नहीं पाया गया था। ये 40 परियोजनाएं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखण्ड, बिहार, गुजरात तथा उत्तराखण्ड राज्यों में प्राथामिक रुप से पाई गई थीं।

ग. **ईसी की शर्तों का अपूर्ण अनपालनः** 11 परियोजनाओं में यद्यपि अलग निगरानी कक्ष बनाया गया था परन्तु वचनबद्धता के प्रति जनशक्ति के नियोजन के अनुसार केवल आंशिक प्राप्ति की गई थी।

पीपीज द्वारा निगरानी कक्ष, प्रयोगशाला सुविधा स्थापित न करना और जनशक्ति का अपर्याप्त नियोजन दर्शाता है कि पीपी पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी के बारे में गम्भीर नहीं था जैसा ईसी की शर्त में निर्धारित था। निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति के अभाव में वायु गुणवत्ता, सतही तथा भूजल गुणवत्ता, शोर तथा मिट्टी गुणवत्ता जैसे विभिन्न पर्यावरणीय प्राचलों पर परियोजना के प्रभाव की निरन्तर निगरानी करना सम्भव नहीं हो सकता था।

एमओईएफएण्डसीसी ने प्रस्ताव किया (अक्तूबर 2016) कि परियोजनाओं में पर्यावरण अधिकारी का पद पर्यावरण निगरानी से संबंधित अनुपालन सुधारने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन सांविधिक आवश्यकता के रुप में शामिल किया जाएगा।

5.3 निगरानी प्रणालियों के संस्थापन में कमी तथा अकार्यात्मकता

ईसी की शर्तों और ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के भी अनुसार प्रत्येक प्रस्तावक को वायु, सतही तथा भूजल की गुणवता, शोर, बहिः स्राव संसाधन तथा कुछ अन्य वचनबद्ध अवसंरचना की निगरानी करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना प्रतिष्ठापित करनी थी।

352 परीक्षित परियोजनाओं में से हमने उपकरणों और उनकी परिचालन स्थिति की 277 परियोजनाओं पर सूचना की समीक्षा की थी। हमने देखा कि केवल 50 परियोजनाओं (18 प्रतिशत) अधिदेशित शर्तों के व्यापक अनुपालन में थीं। 176 परियोजनाओं में आवश्यक

निगरानी उपकरण प्रतिष्ठापित करने के लिए ईसी में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। निगरानी केन्द्र स्थापित करने के लिए ईसी में प्रावधान के अभाव ने ही पर्यावरणीय वचनबद्धताओं में प्रति उनके दायित्व को हल्का कर दिया।

शेष 51 परियोजनाओं में ईसी प्रावधानों के प्रति आवश्यक अवसंरचना के प्रतिष्ठापन में 20 से 100 प्रतिशत के बीच कमी देखी गई थी।39 परियोजनाएं (76 प्रतिशत) ऐसी थीं जहाँ प्रतिष्ठापन में कमी 100 प्रतिशत थी। इनमें अधिकांश परियोजनाऐं जहाँ कमी। 100 प्रतिशत थी, गुजरात (12), पश्चिमबंगाल (7), राजस्थान (4), तथा ओडिशा (5), में पाई गई थीं।

निगरानी प्रणालियों के प्रतिष्ठापन न करने ने दर्शाया कि पीपीज स्वचालित निगरानी और निगरानी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं आज्ञाकारी नहीं थे और जिससे पर्यावरण शर्तों के अपने अनुपालन में पारदर्शिता लाने में गम्भीर नहीं थे।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2016) में यह मामला स्वीकार किया और बताया कि उद्योग की उच्च प्रदूषक श्रेणियों के लिए निरन्तर निगरानी अनिवार्य बनाई गई थी और कि बायु गुणवत्ता तथा चिमनी उत्सर्जन डाटा भी मुख्यद्वार के पास स्थाई स्थान पर और सही समय पर सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रदर्शित किया जाएगा।

5.4 पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी में कमी

प्रत्येक पीपी से ईआईए रिपोर्ट में की गई वचनबद्ता के अनुसार नियमित अन्तरालों पर कोर जोन (कार्यकलाप का मुख्य केन्द्र) और बफर जोन (निकटवर्ती गाँव जो प्रभावित होने की सम्भावना रखते हैं) में वायु, सतही जल, भूजल, शोर आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों के कोर जोन में (गतिविधी का मुख्य केन्द्र), और बफर जोन (जिसमें आस-पास के गाँव को प्रभावित करने की क्षमता हो) में नियमित अंतराल पर निगरानी करने की अपेक्षा की गई थी।

352 परीक्षित परियोजनाओं में से 217 परियोजनाओं के संबंध में वायु, सतही तथा भूजल, मिट्टी, शोर तथा ढेर उत्सर्जन से सबंधित पर्यावरणीय प्राचालकों के परीक्षण तथा सूचित करने की सामा पर सूचना प्राप्त हुई थी। हमने पाया कि 134 परियोजनाएं (42 पतिशत) अधिदेशित शर्तों के व्यापक अनुपालन में थी।

शेष 71 परियोजनाओं में हमने निम्नलिखित देखाः

क. 21 परियोजनाओं में वायु गुणवता परिक्षण के संबंध में 100 प्रतिशत कमी देखी गई थी और 37 परियोजनाओं के मामले में आंशित अनुपालन देखा गया था।

ख. जल गुणवता परीक्षण के लिए कुल 28 परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत कमी दर्शाई जबकि 21 परियोजनाओं ने आंशिक अनुपालन दर्शाए।

ग. ध्वनि परीक्षण तथा सूचना के लिए परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत कमी दर्शाई जबकि 18 परियोजनाओं का अनुपालन दर्शाया।

घ. चिमनी उत्सर्जन परीक्षण के लिए 14 परियोजनाओं के 100 प्रतिशात कमी दर्शाई और 5 ने आंशिक अनुपालन दर्शाए।

ङ. मिट्टी परीक्षण तथा सूचना में 16 परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत कमी दर्शाई।

वायु जल तथा ध्वनि पर्यावरण संकेतक है. इन पर्यावणीय प्राचलों कि निगरानी में कमी अथवा आयाम ने दर्शाया कि पीपी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए अल्प ध्यान दिया था।

एसओईएफएण्डसीसी ने उत्तर (अक्तुबर 2016) में बताया कि उन्होने इन मामलो की गम्भीर उल्लंधन के रूप में लिया था और एसपीसीबी तथा सीपीसीबी को वास्तविक समय डाटा हस्तान्तरण करने के साथ आनलाइन निगरानी प्रणालियों के प्रतिष्ठापन के माध्यम से आनलाइन निगरानी हेतु इसे अनिवार्य बना दिया था।

5.5 प्राइवेट एजेंसी/ तीसरी पार्टी द्वारा निगरानी

ईआइए रिर्पोट अथवा ईसी शर्तों में की गई वचनबद्धताओं के अनुसार विभिन्न पर्यावणीय प्राचलों और वचनबद्ध अवसीमाओं के प्रति स्वतन्त्र निगरानी के लिए पीपीज को तीसरी पार्टी को शामिल करने की आवश्यकता थी। इसके अलाबा गुणवत्ता निगरानी के लिए ये तीसरी पार्टियों, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) से प्राधिकृत होने की आवश्कता थी।

352 परीक्षित परियोजनाओं में से हमने प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से पर्यावरणीय प्राचोलों की निगरानी और ऐसी रिपोर्टो के नियमित प्रस्तुतीकरण की स्थिति पर 270 परियोजनाओँ की सूचना प्राप्त की इनमें से 69 परियोजनाएं व्यापक अनुपालन में पाई गई थी। शेष 201 परियोजनाओं पर आपत्तियां निम्नवत हैः

क. प्राइवेट एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी न करनाः हमने देखा कि 12 राज्यों/ यूटी (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक तमिलनाडु, मेघालय, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, केरल तथा सिक्किम) में फैली 31 परियोजनाओं में पीपीज ने निगरानी के लिए किसी तीसरी पार्टी तन्त्र को नहीं लगाया था।

ख. **नियमित अंतरालो पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत न करनाः** हमने देखा कि छः राज्यों/यूटी हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली तथा महाराष्ट्र) में फैली आठ परियोजनाओं में यद्यपि प्राइवेट एजेसियों पर्यावरणीय प्राचलो की निगरानी कर रही थीं परन्तु उनकी रिपोर्टे नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। इस प्रकार पीपीज ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि प्राइवेट एजेंसियों द्वारा निगरानी ईसी शर्तों / ईआईए रिपोर्टों में निर्धारित बारम्बारता में की गई थी।

ग. **प्राइवेट एजेंसी तथा सरकारी एजेंसी के निगरानी डाटा में अन्तर**: हमने देखा कि चार राज्यों/ यूटी (पंजाब, गोवा. मिजोरम तथा दादर एवं नगर हवेली) में फैली नौ परियोजनाओं में प्राइवेट एजेंसी तथा सरकारी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निगरानी डाटा में अन्तर थे यद्यपि डाटा सेट एक ही समय अवधि से सम्बन्धित थे इनमें से अधिकांश मामले गोवा (5) में देखे गए थे। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में और प्राप्त शिकायत के आधार पर नमूनों की पुनः जाँच की गई थी और सुनिश्चित डाटा में विशाल अन्तर देखा गया था जबकि प्राइवेट एजेंसी के विरुध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। डाटा के अन्तर के परिपेक्क्ष में पीपीज द्वारा लगाई गई प्राइवेट एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी की सुदृढ़ता संदेहास्पद रही।

घ. **प्राइवेट/सरकारी एजेंसियों से तुलनीय रिपोर्टों की कमीः** हमने देखा कि 158 परियोजनों में सरकारी तथा प्राइवेट एजेंसियों भी भिन्न रिपोर्टों में डाटा की तुलना इस तथ्य के कारण सम्भव नहीं थी कि प्राइवेट एजेंसियों तथा सरकारी एजेंसियों सें रिपोर्टों एक ही समय अवधि से सम्बाधित नहीं, थी/ इससे तुलनात्मक निगरानी का प्रयोजन विफल हो गया।

ङ. **गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियाः** हमने पाया कि बिहार और गुजरात में चार परियोजनाओं में गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियों या प्रयोगशालोओं को पर्यावरण निगरानी का कार्य सौंपा गया, जो कि सामान्य ईसी शर्तों के विरूद्ध था। इन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत डाटा की विश्वसनीयता लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं हो सकी।

दादरा एवं नगर हवेली में में यूनिस्टार एनवायरनमेंट एण्ड रिसर्च लेबोरेटरी, वापी पर्यावरणीय प्राचलों के परीक्षण हेतु प्राइवेट एजेंसियों भी और इसने 16 फरवरी 2015 को लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो स्वीकार्य स्तरों के अन्दर थी। तथापि यह देखा गया था कि एक शिकायत के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 20 फरवरी 2015 को जल नमूनों की आकस्मिक जांच की, जिसमें यूनीस्टार द्वारा जांच दोबारा भी की गई और 20 फरवरी 2015 को उसी

एजेंसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ने पर्यावरण प्राचलो के कभी उच्च स्तर दर्शाए/ पाँच दिनों की अल्पावधि के अन्दर परीक्षित परिणामों में विशाल अन्तर के लिए मैं. यूविस्टार के ऊपर कोई कार्यवाई नहीं की गई थी।

इसके अलावा गोवा में एक परियोजना में प्राचलों तथा निम्नलिखित ठोस नैट्रिक आक्साइड़[24], पीएम 10 पीएम 2.5[25] में पीपी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एवं गोवा एसपीसीवी के स्वतंत्र नमूना जाँच परिणामों में व्यापक अन्तर देखे गए थें।

पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को लगाने और यह सुनिश्चित करने कि वह दायरित बारम्बारता पर आयोजित किया गया था और रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की गई थी, में पीपीज की विफलता इसी शर्तों का उल्लंधन था। प्राइवेट एजेंसियों तथा सरकारी एजेंसी के निगरानी डाटा में अन्तर और तुलनीय रिपोर्टों का अभाव पीपीज द्वारा एकमत निगरानी डाटा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। इसके अलावा अप्रधिकृत एजेंसियों द्वारा निगरानी ईसी शर्तों का गम्भीर उल्लंघन था।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2016) में बताया कि उन्होंने नियमक निगरानी को स्वनिगरानी में बदलने में महत्व को मान लिया था और उसके लिए एक प्रोटोकोल विकासित किया था।

5.6 पर्यावरणीय प्राचलों का प्रदर्शन न करना

ईसी में लगाई शर्तों के अनुसार प्रभाव जोन के अन्दर और बफर जोन के अन्दर परिवेशी वायु के संम्पूर्ण प्राचलों की आवधिक रूप से निगरानी की जानी थी उसके अलावा विसर्जित जल की गुणवत्ता की भी निगरानी की जानी अपेक्षित थी। जल की भी निगरानी किया गया डाटा सार्वजनिक क्षेत्र में उचित स्थान पर परियोजना स्थान में प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था।

352 परीक्षित परियोजनाओं में मौसम निगरानी डाटा पर 265 परियोजनाओं से सम्बंधी हमें प्राप्त सूचना सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित की गई थी। 135 मामलों में शर्तों का अनुपालन नही किया गया। 130 परियोजनाओं में जिसमें शर्तों का अनुपालन किया गया। 13 राज्यों/ यूटी (असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु तथा उत्तराखण्ड) में फैले 28 मामलों में हमने अनुपालन नहीं देखा, तथा सार्वजनिक स्थान में सूचना प्रदर्शित नहीं की गई थी।

---

[24] एनओएक्स, नैट्रिक आक्साइड़ (एनओ) एवं नाईट्रोजन डाईआक्साइड (एनओ 2) के मिश्रण को वर्णित करने के लिए एक शब्द है।

[25] पीएम 10 एवं पीएम 2.5 हवा में धूल के 10 माइक्रोमीटर एवं 2.5 माइक्रोमीटर क्रमश: के आकार के कण है।

एसओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्तूबर 2016) की ईसी में शर्त शामिल न करने की यह कमी अब सुधार की गई है उसके अलावा डाटा का प्रदर्शन आनलाइन निगरानी प्रणाली में एकीकृत किया जाना कहा गया था।

5.7 उपसंहार

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)/ पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) रिपोर्टें तथा ईसी शर्तों पीपीज द्वारा विभिन्न पर्यावरनीय प्राचलों की निगरानी के यंत्र प्रदान करते है तथा ईसी में निगरानी प्रणाली के प्रावधान के बावजूद पीपीज ने पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने में अल्प प्रतिक्रिया दर्शाई। यद्यपि जनशक्ति की एजेंसी न करनें आवश्यक निगरानी सेरचना का प्रतिष्ठापन न करने और स्वतन्त्र निगरानी हेतु तीसरी पार्टी एजेंसियों लगाने की सण के सारण समग्र निगरानी में कमियां हुई थी। पर्यावरण डाटा से सम्बन्धित सूचना भी परियोजना स्थानों पर प्रदर्शित नहीं की गई थी।

5.8 सिफ़ारिशें

हम सिफ़ारिशें करते है कि,

i. एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 5.2)

ii. एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल, ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्ते लाने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 5.3 तथा 5.4)

iii. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 5.5)